



राजस्थान सरकार  
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक एफ.4(75)वित्त/राजस्व/1997

जयपुर, दिनांक 07.08.2020

आज्ञा

इस विभाग की कैंडर स्ट्रेन्थ से संबंधित अधिसूचना दिनांक 08.08.2016 एवं अधिसूचना दिनांक 23.08.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि सेवा के अतिरिक्त निदेशक के पद को निम्नानुसार स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:

क्र.स.	स्थानान्तरित किये जाने वाले पद का विवरण	स्थानान्तरित किये जाने के उपरान्त पद नाम	बजट मद
1.	अतिरिक्त निदेशक, ह.च.मा. शीपा, जयपुर	स्टेट नोडल ऑफिसर, इन्दिरा रसोई योजना, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर	स्वायत्त शासन विभाग के बजट शीर्ष में

उक्त स्वीकृति बारकोड संख्या 322000278 दिनांक 07.08.2020 के क्रम में वित्त (व्यय-3) विभाग से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से,  
  
07/8/2020  
(वेद प्रकाश गुप्ता)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
5. निदेशक, एचसीएम शीपा, जयपुर।
6. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
7. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
8. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग।
10. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग।
12. संबंधित अधिकारी।
13. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

07/8/2020  
संयुक्त शासन सचिव